**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2963**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ नई बाड़ लगाना**

**2963. श्री परिमल नथवानीः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि भारत और बांग्लादेश सीमा पार अपराधों पर काबू पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 250 से अधिक गांवों को सुरक्षित करने के लिए मौजूदा कांटेदार तार की बाड़ के आगे नई बाड़ लगाने पर सहमत हो गए हैं;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल और बार्डर गार्ड बांग्लादेश ने इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और**

**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)**

1. से (घ): भारत सरकार तथा बांगलादेश सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार, भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के दोनों ओर 150 गज तक कोई रक्षा संबंधी निर्माण नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार का प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जितना समीप हो सके, सीमा बाड़ को खड़ा किया जाए ताकि किसानों/ग्रामीणों/निवासियों के विस्थापन को न्यूनतम किया जा सके। उपर्युक्त के आधार पर, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल तथा महानिदेशक, सीमा गार्ड बांग्लादेश ने सभी लंबित कार्यों की इस तरह से समीक्षा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि मौजूदा बाड़ से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बाहर स्थित भारतीय ग्रामीणों पूर्णत: बाड़ के भीतर आ जाएंगे।

\*\*\*\*\*